न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
2016	23/06/2016	04/06/2025

–:उनवान:–

नन्दलाल
फूलचन्द
मुकुट बिहारी
ओमप्रकाश पिसरान श्री दल्ला जातियान ब्राह्मण निवासीगण गौठडाकला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

वादीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्मण निवासी गौठडाकला हाल निवास ग्राम डूढा वाया गोलाना तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
   मृतक जरिये कायम मुकाम
   1/1 द्रोपदीबाई बेवा श्री अशोक जाति ब्राहम्मण नि० डूढा वाया गोलाना तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
2. सत्यनारायण पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्मण निवासी डूढा वाया गोलाना तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
3. गीताबाई पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्मण नि० झझनी तह० रावतभाटा जि० चितोडगढ
4. शारदा पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री बाबूलाल जाति ब्राहम्मण नि० डूढा तह० खानपुर जि० झालावाड राज०
5. उमाबाई पुत्री श्री मदनलाल पत्नी शरद कुमार हाल जाति ब्राहम्मण निवासी डूढा तह० खानपुर जि० झालावाड राज०
6. विलोपित।
7. राजस्थान सरकार जर्दे तहसीलदार साहब, पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 19,91,188 आर. टी. एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक 04/06/2025

उपस्थित अधिवक्ता
1. श्री गिरिराज कुशवाहा वकील वादीगण।
2. श्री सत्यनारायण मीणा वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिए विद्धवान अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 19,91,188 आर. टी. एक्ट 1955 प्रस्तुत कर कथन किए कि ग्राम गौठडाकला पटवार मण्डल मियाणा तहसील पीपल्दा में आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा मदनलाल, प्रभुलाल पिसरान लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्मण निवासी बास डूगर तहसीन खानपुर के बाँट बराबर खाते में दर्ज थी, जिसमें शिकमी काश्त जैली दल्ला ब्राहम्मण संवत् 2014 से दर्शाया गया है। अर्थात खातेदारान का संवत 2014 एवं उससे पूर्व से उक्त

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, उक्त आराजी श्री दल्ला जो कि वादीगण के पिता थे, उनके जीवनकाल में व जब से वादीगण ने होश संभाला, तब से वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। सैंटलमेंट के पश्चात उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 300 रकबा 2.90 हैक्टर बनाये गये हैं। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के बाबा व प्रतिवादी क्रम 6 प्रभुलाल के पिता श्री लक्ष्मीनारायण लगभग 90 वर्ष पूर्व धुलेट गाँव में गौद चले गये थे, इस कारण लक्ष्मीनारायण व उसके वारिसान का उपरोक्त वर्णित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त कथन के साथ सजरा अंकित किया। इसके अतिरिक्त कथन किए कि सैटलमेंट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा का लगान व पिलाई संवत 2002 से वादीगण के पिता जमा कराते चले आ रहे थे, तत्पश्चात वादीगण लगान व पिलाई अदा करते चले जा रहे हैं। नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 51 संवत् 2036 से 39 में वादीगण के पिता का नाम शिकमी काश्त जैली संवत् 2014 से दर्शा रखा है । इसके पूर्व से ही वादीगण लगान पिलाई जमा करते चले आ रहे हैं। यह कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सन् 1955 से लागू हुआ है, जिसे लागू हुये लगभग 60 वर्ष हो चुके है। उक्त कानून लागू होने के पूर्व से ही वादीगण के पिता बतौर जैली काबिज चले आ रहे थे । संवत 2002 से वादीगण के पिता द्वारा लगान पिलाई अदा की जाती रही है। उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण लगान पिलाई अदा करते चले आ रहे हैं। इस कारण वादीगण उक्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है । वादीगण स्वतः ही खातेदार बन चुके है ।

यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पित्ता मदनलाल का स्वर्गवास हो चुका है, प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के मन में बदनीयति आ चुकी है तथा वे उनके पिता के स्थान पर उनका नाम जरिये इतकाल दर्ज करवाकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 2.90 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम को जिस पर कि वादीगण का संवत 2002 से अनवरत रूप से बतौर जैली काष्त कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को विगत 2–3 माह पूर्व उनके पिता मदनलाल के नाम व प्रतिवादी क्रम 6 के नाम उक्त आराजी खाते दर्ज होने की जानकारी लगने के पश्चात से ही प्रतिवादीगण उक्त आराजी को विक्रय करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति मैं यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करे कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 उनके नाम इतकाल नहीं खुलवाये, तथा इंतकाल खुलने की अवस्था में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 जमीन को दिगर व्यक्ति संस्था, बैंक, निकाय आदि को विक्रय, दान, वसीयत, रहन द्वारा हस्तान्तरित न करे और इसके अतिरिक्त वादीगण संवत 2002 से उनके पिता के समय से ही विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, इस कारण वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी क्रम 6 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटवाने के अधिकारी है तथा बतौर खातेदार अपना नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 7 जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, तथा लेण्ड होल्डर होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्ध वाद लाने से पूर्व 2 माह की मियाद का रजिस्ट्रर्ड नोटिस भिजवाया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रतिवादीगण को लगभग 3 माह पूर्व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी क्रम 6 स्वयं के नाम विवादित भूमि खाते में दर्ज होने की जानकारी लगने के उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 उनके पिता की मृत्यु हो जाने से उनके नाम फौती इन्तकाल खुलवाना चाहते हैं, एव उक्त आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 विक्रय करना चाहते है। इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रम 7 के विरूद्ध धारा 80 सी पी सी. के प्रावधानों के तहत पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित वाके ग्राम गौठडाकला पटवार क्षेत्र मियाणा हाल नीमोला में सैटलमेंट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

183 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा जो कि लक्ष्मीनारायण के खाते दर्ज थी, बाद में मदनलाल व प्रभुलाल के खाते दर्ज हो गयी, तथा बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 300 रकबा 2.90 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम पर संवत् 2002 से लगातार वादीगण के पिता श्री दल्ला बतौर जैली काश्त काबिज होने व उनकी मृत्यु होने की अवस्था में वादीगण काबिज रहने के कारण वादीगण उक्त आराजी के खातेदार घोषित किये जाये तथा वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता मदनलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो जाते है, ऐसी अवस्था में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाये जावे व डिलिट किया जावे तथा वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे उक्त आराजी पर वादीगण को शांतिपूर्वक कब्जे काश्त करने देवे, वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे, और ना ही अपने प्रतिनिधियो से उत्पन्न करवाये। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी क्रम ता 6 के विरूद्ध जारी की जावे । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की भी स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 उक्त आराजी को विक्रय रहन, दान, वसीयत द्वारा किसी दिगर व्यक्ति, संस्था, बैंक, निकाय आदि को हस्तान्तरित न करे तथा प्रतिवादी क्रम 7 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निबंधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी प्रकार के दस्तावेजो का निष्पादन नहीं करे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 7 के विरूद्ध इस आशय की भी स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रतिवादी क्रम 1 तो 5 के पक्ष में उनके पिता मदनलाल का फौती इन्तकाल नहीं होते ।

यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण के हितार्थ व प्रदान की जावे।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री सत्यनारायण मीणा विद्धवान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में पक्षकारान के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लिए गए। संशोधित उनवान पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीकम 1/1 की तलबी जर्ये रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादीकम 1/1 अनुपस्थित अतः प्रतिवादीकम 1/1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा वाद वादीगण का जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वाद वादी अस्वीकार कर निम्न काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया:–

यह कि वादीगणों ने वाद कि मद नं. 2 में अपने पिता को शिकमी कास्त जैली बताया है वह निराधार है उसका कोई कानुनी आधार नहीं है और वादीगणों ने प्रतिवादीगणों के पिता व दादा को धुलैट गोद जाना बताया है वह भी निराधार है उसका भी कोई कानुनी आधार नहीं है तथा वादीगण का एडवर्स पजेशन भी वाद के कथनो के आधार पर साबित नहीं है क्योंकि वादीगण का प्रतिकुल कब्जा वाद के तथ्यों के अनुसार नहीं है वादी स्वयं बताते है कि प्रतिवादीगणों को उक्त आराजी का पत्ता कुछ समय पूर्व लगा है जबकी प्रतिवादीगणों के खातें में सेटलमेंन्ट से पुर्व का रेकार्डेड ख.नं. 183 रकबा 19बीघा 3 बीस्वा व सेटलमेंन्ट के बाद ख. नं. 300 रकबा 2.19 है० खाते दर्ज है तथा रेवेन्यु रिकॉर्ड में लिपिकिय त्रुटि व किसी कारणवश रेकार्ड में इन्ट्री हो जाने से हक हकुक व स्वत्व नहीं बदल जाते है बल्कि प्रतिवादीगण सेटलमेन्ट से पूर्व व आज भी रेकॉर्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजी के पैतृक रूप से मालिक एवं कब्जेकारत में चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगणों कि यह आराजी पैतृक सम्पत्ति है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

यह कि वादीगण ने उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में वाद पत्र में लिखा है कि विवादित आराजी पर वादीगणो के पिता का नाम शिकमी जैली सांवत 2014 में दर्ज है तो वादीगणो व उनके पूर्वजो के नाम भी रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में सेटलमेन्ट पूर्व भी होने चाहिये और सेटलमेन्ट के बाद भी लगातार उपकृषक दर्ज होने चाहिए थे तथा खसरा गिरदावरी में भी फसल कास्त की टीप होनी चाहिए थी ।

यह कि वाद पत्र में सफेद झूठ है 20/3/2016 को उक्त आराजी के सम्बन्ध मे किसी ने भी कोई धमकी नहीं दी बल्कि वादीगण ने रेवेन्यु विभाग से मिलीभगत करके तथा लिपिकीय त्रुटि का फायदा उठाते हुये और उनके मन में बदनीयति होने व जमीन हड़पने का प्लान बनाकर चुपके से बिना वाद कारण के ही वाद पेश कर दिया है जिसका कोई आधार नहीं है उक्त त्रुटि को प्रतिवादीगणों के पिता व दादा ने कई वर्षों पूर्व ही दुरस्त करवा दिया था और तीन–तीन आधार बनाकर एक साथ वाद व प्रार्थना पत्र पेश है जो मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि टाईटल (स्वत्व) व एडवर्स पजेशन कि प्ली एक साथ नहीं उठाई जा सकती है ना ही दो आधार बनाकर एक वाद पेश किया जा सकता है।

यह कि वादीगणो ने 23/6/2016 को वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण को बिना सुने ही अस्थाई निषेधाज्ञा मनगढंत व झुठि कहानी को आधार बनाकर प्राप्त कर लिया और प्रतिवादीगण एवं उसके मुनाफा कास्तगार को उक्त आराजी को हाकने से मना कर दिया इसलिए प्रतिवादीगणों को माननीय न्यायालय में जवाब मय काउण्टर क्लेम के पेश करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

यह कि वाद पत्र में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर वादीगण उक्त वाद पत्र में कामयाब हो जावेगें या खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेगें।

यह कि वादीगण का वाद पत्र व केस प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में बिल्कुल भी नही है क्यों कि वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत करने का एक भी आधार वाद पत्र के कथनों से साबित नहीं करता है। क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी एक ही परीवार के सदस्य सयुक्त खातेदार रहे है।

यह कि सुविधा का सन्तुलन भी वादीगणों के पक्ष में नहीं है क्योंकि वादीगणों का जीवनयापन कृषि पर निर्भर नहीं है ना वादीगणों ने कभी कृषि कार्य किया है नाहीं कृषि यंत्र कि सुविधा अपने घर में रखी है बल्की ग्राम गोठडा कलों में वादीगण कोई नहीं रहते है वादी कम 1,2.4 सरकारी सेवा में है और वादी कम 3 पंडिताई का कार्य करता है और वादीगण अपने खाते कि 100 बीघा आराजी को भी मुनाफे से जुपाते है अर्थात वादीगण एक कृषक व खातेदार नहीं है न ही किसान होने कि परिभाषा को पूरा करते है इसलिए आर.टी.एक्ट की धारा 188 में तो वाद ही पेश नहीं किया जा सकता न ही मैंन्टेनेबल है।

यह कि वादीगणों को अपूर्णिय क्षति होने कि कोई सम्भावना नहीं है क्यों कि उक्त कृषि आराजी के बदले इन्होने कोई विशेष राशि नहीं दी है तथा नहीं वादीगण उक्त आराजी के खातेदार है नहीं उक्त आराजी से इनका भरण पोषण होता है जो इनका परीवार भुखे मर जावेगा नहीं कोई इन्होने बताया हो कि हमने उक्त आराजी पर ट्युबैल, कुओं, तारबन्दी, लैवलिंग आदी में रूपया खर्च किया हो !

यह कि कब्जा भी इनका साबित नहीं होता है क्यों कि इनको तो खेती करना ही नहीं आता है हल, कुली, बैल, ट्रैक्टर, आदी चलाना ही नहीं आता है ।

Ramniwas

खण्ड अधिकारी

यह कि वादीगणों का वाद मेंन्टेनेबल नहीं है क्यों कि टाईटल व एडवर्स पजेशन दोनों एक साथ नहीं चल सकतें तथा साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान है कि खुद कि स्विकारोक्ति से बढ़ी कोई शहादत नहीं होती है वादी स्वयं स्वीकार कर रहे है कि वादीगण का प्रतिकुल कब्जा नहीं है अभि तीन माह पूर्व प्रतिवादी कि जानकारी में आया है इस लिए एडवर्स पजेशन का आधार नहीं बनता है permissive possession के आधार पर adverse possession क्लेम नही किया जा सकता तथा permissive possession को adverse possession में तब्दील नहीं किया जा सकता है एवं जो खातेदार कृषक नहीं है तथा कृषक कि परीभाषा में नहीं आता है वह आर.टी. एक्ट कि धारा 188 में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं ला सकता है न ही स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर राकता है। वर्तमान जमाबन्दी में मात्र खातेदार प्रतिवादीगणों के नाम अंकित है अतः प्रतिवादी खातेदार काश्तकार होने के नातें इस अनुमान का लाभ खातेदार को मिलेगा कि वह खातेदार है अतः काश्त भी उसी कि होगी यदि अन्यथा प्रमाणित नहीं हो तो तथा वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार प्रमाणित नहीं है अतः ऐसे (प्रिजम्पशन) उपधारणा का लाभ उसे नहीं मिल सकता और प्रतिवादी का ग्राम धुलेट में गोद जाना भी वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों एवं किसी दस्तावेज से साबित नहीं होता है तथा धारा 19 के अर्न्तगत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जब राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 15.10.1955 को प्रभाव में आया उससे पहले वादी को खाते में उपकृषक दर्ज होना आवश्यक है तथा सम्वत् 2012 कि जमाबन्दी में उपकृषक कि हैसियत से काश्त का इन्द्राज हो। खसरा गिरदावरी वार्षिक रजिस्टर नहीं होता है तथा राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 कि तृतीय अनुसुची में स्पष्ट बताया है कि उक्त अधिनियम के अर्न्तगत वाद, प्रार्थना पत्र तथा अपीले को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए किस किस धारा में क्या क्या समय सीमा है यहा धारा 19 में वाद पेश करने के लिए 3 वर्ष समय सीमा है अधि० लागू होने से इसलिए कोई व्यक्ति अपने आपको सब टेनेन्ट क्लेम करते हुये खातेदारी अधिकारो को प्राप्त करने कि इस्तदुआ लेकर कोर्ट में आता है तो वह इस लेट स्टेज पर 61 वर्ष बाद सन् 2016 में अपना क्लेम यह कहते हुए प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसें किसी प्रावधानों के तहत अधिकार प्राप्त हो गये है और 20.3.2016 को वादीगण प्रतिवादीगणों द्वारा धमकी देना व वाद कारण पैदा होना बता रहे है तो फिर वाद अर्जेन्ट नेचर का कहाँ हुआ और वादीगणों ने प्रतिवादी कम 7 को आवश्यक नोटिस क्यों नहीं दिया उपरौक्त तमाम कारणों कि वजह से वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नहीं है !

प्रार्थना प्रतिवादीगण

यह कि वादीगण का घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र खारीज कर प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध इस आशय कि डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा पारीत कि जावे कि :–

(अ) यह कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी कि आराजी ख.नं. खातें में सेटलमेंन्ट से पूर्व का रेकार्डेड ख.नं. 183 रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा व सेटलमेंन्ट के बाद ख.नं. 300 रकबा 2.90 है० खाते दर्ज है जिसमे वादीगण प्रतिवादीगणों को शांन्ति पूर्ण तरीके से कृषि कार्य करने दे और किसी भी प्रकार कि मदाखलत एवं मदाहमज नही करे एवं न ही किसी अपने प्रतिनिधि से करावे।

(ब) यह कि प्रतिवादीगणों के नाम फोती नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करे तथा प्रतिवादी कम 6 के नाम को दुरस्त करने का भी आदेश प्रदान करे तथा प्रतिवादी कम 4 का

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
डीग

नाम वाद पत्र में गुड्डी बाई लिखा है जो गलत है उसका नाम शारदा बाई पुत्री मदन लाल है जो प्रतिवादी कम 1.2.3 व 5 कि बहिन है जिसको गुड्डीबाई के स्थान पर शारदाबाई पढा जावे व वाद पत्र में अग्रिम न्यायिक कार्यवाही बाबत दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

(स) यह कि हम प्रतिवादी क्रम 3.4.5. अपने पिता स्व० श्री मदनलाल जी कि पैतृक कृषि आराजी ख०न० 300 रकबा 2.90 है0 में से अपना हक नहीं लेना चाहते है हमारा नाम हमारे भाइयो के साथ खातेदारी मे दर्ज नही किया जावें बल्कि हम अपने सगे भाई प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग करते है इसलिये उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम ख०न० 300 रकबा 2.90 है0 में मदनलाल के स्थान 1/2 हिस्सा रेवेन्यु रिकॉर्ड दर्ज किया जावें। क्योकि हमे हमारे पिता ने उनकी हैसियत से ज्यादा खर्चा करके सम्पन्न परिवारो में शादी कर दी है जहाँ हम राजीखुशी जीवनयापन कर रही है।

(द) यह कि प्रतिवादीगण कम 7 को आदेश दिया जावे कि प्रतिवादी कम 6 का नाम प्रभुलाल पुत्र लक्ष्मीनाराण के स्थान पर दुरस्त कर बाबुलाल पुत्र लक्ष्मीनाराण दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम उनके पिता के स्थान पर दर्ज किये जानें का आदेश प्रदान करे।

प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम का वादीगण द्वारा निम्न प्रकार जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया:-

यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 ने अपने काउन्टर क्लेम की मद नं 1 मैं वादीगण के पिता को शिकमी काश्त जैली होना निराधार बताया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण के पिता व बाबा को धुलेट गांव जाना भी निराधार बताया है, इसके अतिरिक्त वादीगण का एडवर्स पजेशन भी नही होना बताया है तथा यह भी उल्लख किया है कि राजस्व रेकॉर्ड में लिपिकीय त्रुटि व किसी कारण का एन्ट्री हो जाने से हक हकूक व स्वत्त्व नहीं बदल जाते, इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर खुद का कब्जा होना बताया है उक्त मद में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य व निराधार है ।

यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं 2 में प्रतिवादीगण ने यह उल्लेख किया है कि सेंटलमेंट से पूर्व वादीगण के पिता का नाम दर्ज था, व सेंटलमेंट के बाद भी दर्ज होना चाहिये। उक्त सेंटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करवाने व वादगत आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वादीगण प्रस्तुत किया है।

यह कि काउन्टर क्लेम मद नं 3 में वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होना नहीं बताया है, जो कि नितान्त असत्य है, वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ है, तभी वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं 4 में वर्णित एकतरफा अस्थाई निषेद्याज्ञा बाबत आक्षेप किया है जबकि न्यायालय श्रीमान द्वारा रेकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो कि किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। इसी मद में प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम पेश करने का वाद कारण उत्पन्न होना बताया है, किन्तु किस तारीख को काउन्टर क्लेम पेश करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ, यह नहीं बताया है।

यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं 5 गलत हैं।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

यह कि प्रतिवादीगणों का प्रथम दृष्टया काउन्टर क्लेम नहीं है। इसी मद में प्रतिवादीगण ने यह उल्लेख किया है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य एवं संयुक्त खातेदार रहे हैं। उक्त कथन वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का एडमिशन है।

यह कि प्रतिवादीगण के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन बिल्कुल भी नही है। स्वयं प्रतिवादीगण 1 ता 6 बाहर रहते हैं, इस कारण उनका विवादित आराजी पर कब्जा होना नितान्त असत्य है। प्रतिवादीगण का उक्त कथन की नितान्त असत्य है कि वादी का वाद मेन्टेनेवल नहीं है ।

यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 8 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य है।

यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 9 में जिस प्रकार से कथन किया है, वह कथन बच्चों जैसा हैं, हल, कुली, बेल, ट्रेक्टर आदि किराए मुनाफा काश्त, पांति काश्त पर मिल जाते हैं, इस कारण यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति खेती करना जानता हो।

यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं 10 में जिस प्रकार से कथन किए गए हैं, वह साक्ष्य का मेटेरियल है, तथा अंतिम निर्णय होने पर देखा जायेगा। उक्त मद मे भी प्रतिवादीगणों का यह कथन कि वादीगण का वाद मेन्टेनेवल नहीं है। पूर्णतया निराधार है ।

यह कि जवाब काउन्टर क्लेम की मद नं ।। कानूमी है ।

यह कि जवाब काउन्टर क्लेम की मद नं 12 कानूनी है।

यह कि प्रार्थना प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादी क्रम 6 अपना नाम बाबूलाल होना बताता है, इस बाबत राजस्व रेकॉर्ड संबत 2028 से 31 की जमाबन्दी में प्रभूलाल दर्ज हैं। जब से अब तक उसने इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अथवा उसके पिता लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के बाद खोले गए इंतकाल के विरूद्ध अपील क्यों नहीं की, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसका नाम बाबूलाल नहीं है, बल्कि प्रभूलाल ही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रम 6 उसके नाम की दुरस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रतिवादी कम 1 ता 6 उनके पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध किसी की प्रकार की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब काउन्टर क्लेम वादीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाये ।

वादीगण के वादपत्र वांछित अनुतोष, प्रतिवादीगण के जवाब मय काउन्टर क्लेम एवं वादीगण के जवाब उल जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न प्रकार विवाद्यक बिन्दु कायम किए गए।

1. आया वादीगण वकील ख0नं0 300 रकम 2.90है0 वाके ग्राम गोठडा कलां में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार घोषित करने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

2. आया वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में प्रति0 कम 1 ता 6 के नाम हटवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

3. आया वादीगण विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन

(जिम्मे वादीगण)

4. आया प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

(जिम्मे प्रतिवादी 1 ता 6)

5. आया प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में प्रति0 गुडडी बाई के स्थान पर शारदा बाई दर्ज कराने के अधिकारी है।

(जिम्मे प्रतिवादी 1 ता 6)

6. आया प्रतिवादीगण 3, 4, 5 अपने हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवादी 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे प्रतिवादी 1 ता 6)

7. आया प्रतिवादीगण प्रतिवादी 6 का नाम प्रभूलाल के स्थान पर बाबूलाल दर्ज कराने के अधिकारी है।

(जिम्मे प्रतिवादी 1 ता 6)

8. आया प्रतिवादीगणों को अपनी पैतृक आराजी एवं हिस्से कि आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा मय काउन्टर के प्राप्त करने के अधिकारी है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

9. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच विवादित आराजी पैतृक एवं संयुक्त परिवार कि आराजी रही है

(जिम्मे प्रतिवादी)

10. आया प्रतिवादी रेकॉर्डड एवं कब्जे काश्त कृषक हैं। जिनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

(जिम्मे प्रतिवादी)

11. अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात उभयपक्षकारान को अपने–अपने समर्थन में साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के प्राप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिए गए। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सहादत कर जिरह दर्ज की गई एव। दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।

वादी अधिवक्ता की ओर से पी0डब्ल्यू 1 मुकुटबिहारी, पी0डब्ल्यू 2 कन्हैयालाल व पी0डब्ल्यू 3 रामेश्वर के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए। पी0डब्ल्यू 1, पी0डब्ल्यू 2 से जिरह की गई। वादी अधिवक्ता अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। साक्ष्यवादी बंद की जाती है। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु कई अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किए। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। प्रतिवादीकम 6 की मृत्यु होने का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीकम 6 का नाम हटाने का निवेदन किया गया। संशोधित टाईटल पेश किया गया। वकील वादी द्वारा लगान रसीद पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस वाद में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण के पिता श्री दल्ला के आर0टी0ए0 1955 के लागू होने से काफी वर्षों

उपखण्ड अधिकारी

पूर्व से वादगत भूमि पर बतौर जैली काश्त करने व आज दिनांक तक काबिज काश्त होना बताया। अपने मत के समर्थन में श्री दल्ला द्वारा वादगत आराजी से संबंधित लगान की रसीदे व जमाबन्दी में बतौर शिकमी काश्त जैली दर्ज होने संबंधी दस्तावेजों का जिक्र किया जो कि पत्रावली के साथ सलंग्न है। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के तथ्यों को दोहराते हुए दावा खारिज करने हेतु निवेदन किया। साथ ही वकील प्रतिवादीगण ने वादगत आराजी पर वादीगण के permissive possession को स्वीकार करते हुए adverse possession को नकारा।

दौराने बहस आरआरटी 2004(1) निर्णय दिनांक 24.04.2003 प्रस्तुत की।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपांत गहन मनन अवलोकन किया। वादीगण के वादपत्र, जवाब मय काउन्टर क्लेम, जवाब उल जवाब एवं साथ ही प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया। पक्षकारान द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय के दृष्टान्त का सम्मान सहित अवलोकन किया एवं प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पानंगी बाबत विचार किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

<u>तनकी नं0 1</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादीगण द्वारा ब्यान मुकुटबिहारी पुत्र दल्ला प्रदर्श पी0डब्ल्यू 1, शपथ पत्र कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल गुर्जर प्रदर्श पी0डब्ल्यू 2 शपथ पत्र रामेश्वर पुत्र लदूरलाल खाती प्रदर्श पी0डब्ल्यू 3 नकल जमाबन्दी ग्राम गोठडा कला सम्वत 2036–39 खाता नं0 50–51 बखाता मदनलाल वगै0 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोठडा कलां सम्वत 2041–60 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी ग्राम गोठडा कला सम्वत 2070–73 खाता नं0 81 बखाता मदनलाल वगै0 प्रदर्श–3, अर्ज इरसाल ग्राम गोठडा दिनांक 26.01.1946 बुक नं0 82 तादादी 13 रूपए प्रदर्श–4, अर्ज इरसाल ग्राम गोठडा दिनांक 28.01.1946 बुक नं0 100 तादादी 47 रूपए साढे बारह आन्ना प्रदर्श–5, रसीद पी0 33 बुक नं0 11917 रसीद नं0 5 सम्वत 2055 तादादी 85 रूपए प्रदर्श–6, रसीद पी0 33 बुक नं0 059592 रसीद नं0 18 सम्वत 2032 तादादी 24 रूपए 8 पैसे प्रदर्श–7, रसीद पी0 33 बुक नं0 059592 रसीद नं0 19 सम्वत 2032 तादादी 32 रूपए 5 पैसे प्रदर्श–8, रसीद ग्राम गोठडा सम्वत 1999 तादादी 21 रूपए 11 पैसे प्रदर्श–9, रसीद पी0 33 बुक नं0 अपठीत रसीद नं0 33 दिनांक 29.06.1993 तादादी 249 रूपए 36 पैसे प्रदर्श–10, रसीद बुक नं0 51 ग्राम गोठडाकला दिनांक 08.06.1953 तादादी 20 रूपए 13 आने प्रदर्श–11, रसीद पी0 33 बुक नं0 42861 रसीद नं0 6 दिनांक 08.02.1968 सम्वत 2023–24 तादादी 52 रूपए 50 पैसे प्रदर्श–12, मांगपत्र ग्राम गोठडाकला सम्वत 2024 प्रदर्श–13, रसीद पी0 33 बुक नं0 29820 रसीद नं0 58 तादादी 49 रूपए 37 पैसे प्रदर्श–14, रसीद पी0 33 बुक नं0 70794 रसीद नं0 6 दिनांक 20.03.2002 तादादी 88 रूपए प्रदर्श–15, रसीद पी0 33 बुक नं0 061866 रसीद नं0 4 सम्वत 2036 दिनांक 16.06.1979 तादादी 50 रूपए 75 पैसे प्रदर्श–16, रसीद पी0 33 बुक नं0 070498 रसीद नं 29 तादादी 21 रूपए 93 पैसे प्रदर्श–17, नकल जमाबन्दी ग्राम गोठडाकला सम्वत 2032–35 खाता नं0 48, नकल जमाबन्दी ग्राम गोठडाकला सम्वत खाता नं0 46।

उक्त प्रदर्श–1 के अनुसार वादगत उक्त भूमि साबिक खसरा नं0 183 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा मदनलाल प्रभूलाल पि0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण बास डूंगर (आ0सा0) तह0 खानपूर बांट बराबर शिकमी काश्त जैली दल्ला ब्रा0 सम्वत 2014 से दर्ज रिकॉर्ड है। हर्स्व प्रदर्श–2 साबिक

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

ख0नं0 183 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा के बाद बंदोबस्त सम्वत 2041–60 के उपरान्त हाल ख0नं0 300 रकबा 2.90 है0 पैमूद किए गए हैं, जो हस्ब प्रदर्श 3 मदनलाल प्रभूलाल पि0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण के नाम वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड है साथ ही उक्त भूमि पर हस्ब प्रदर्श 1 जमाबन्दी के कॉलम नं0 4 में मदनलाल प्रभूलाल के साथ वादीगण के पूर्वज का नाम शिकमी काश्त जैली सम्वत 2014 से अंकित होने के उपरान्त भी दर्ज नहीं किया गया है। उक्त प्रदर्श 1 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम गोठडाकला खाता संख्या 48 और 46 के अंकन इस बात की ताईद करते हैं कि वादगत भूमि पर दल्ला का कब्जा काश्त सम्वत 2014 से था। तदुपरान्त हस्ब प्रदर्श 4 लगायत 12 एवं 13 लगायत 17 जो कि राज्य सरकार को देय लगान/भू–राजस्व भूगतान की रसीदात है जिनमें से प्रदर्श 17 का भूगतान वादी क्रम 3 द्वारा बतौर जैली काश्त दल्ला एवं प्रदर्श 11 अनुसार भी उक्त भूमि का लगान यानी कडता दल्ला द्वारा बतौर जैली इसी प्रकार प्रदर्श 10 में, 9 में, 8 में, 7 में दल्ला द्वारा बतौर जैली काश्त अदा किया गया है। प्रदर्श 6 में उक्त भूगतान वादीकम 3 द्वारा किया गया है। प्रदर्श 4 एवं 5 दोनों इस तथ्य की ताईद करते हैं कि प्रतिवादीगण का नाम वर्तमान में जिस भूमि पर अंकित उसका लगान 13 रूपए एवं 47 रूपए साढे बारह आना सन् 1946 में दल्ला द्वारा भूगतान किया गया है।

हालांकि उक्त रसीदात में स्पष्टतया वादगत भूमि का विशिष्ट खसरा नं0 अंकित नहीं है किन्तु उक्त दस्तावेजात यह तय करते है कि मदनलाल वगै0 की भूमि का लगान पूर्व समय में वादीगण के पूर्वज दल्ला तथा उनके बाद वफात वादीगण द्वारा अदा किया जाता रहा है। प्रतिवादी द्वारा जवाब में हालांकि वादीगण का एडवर्स पजेशन होना अस्वीकार किया है किन्तु परमिसिव पजेशन होने के तथ्य होना अंकित करते हुए जवाब प्रस्तुत किया है कि परमिसिव पजेशन को एडवर्स पजेशन में तब्दील नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार वादीगण को मियाद बाहर होने से तथा प्रतिवादी क्रम 6 राज0 सरकार को 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस नहीं देने से वाद खारिज करने का निवेदन किया है, परन्तु वादीगण का वाद धारा 88, 89,19,91,188 आर0टी0एक्ट 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 तृतीय परिशिष्ट अनुसार धारा 88 के अन्तर्गत कोई भी वाद मियाद बाहर नहीं होता है साथ ही सरकार द्वारा 80 जाप्ता दीवानी का कोई उज्र नहीं किया है, वैसे भी सरकार उक्त प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है।

प्रकरण के अन्य विचारणीय बिन्दू में यह तय है कि वादीगण के पूर्वज द्वारा सन् 1942, 1946 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि का लगान अदा किया है। साथ ही प्रदर्श 4 लगायत 17 तक जो रसीदे पेश की है वह वादीगण द्वारा पेश की है। अपने जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे को एक तरह से परमिसिव पजेशन के रूप में स्वीकारोक्ति दी है एवं नायब तहसीलदार खातौली के पत्र क्रमांक/भू0अ0/251 दिनांक 06.06.2025 द्वारा भी वर्तमान में वादीगण का कब्जा होना बताया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15 अक्टूबर 1955 से प्रभावी हुआ है और वादीगण के पूर्वज दल्ला का कब्जा उक्त भूमि पर उक्त तिथि से पूर्व से ही चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी विधिया विस्तार अध्यादेश 1975, राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 1979 के प्रावधानों के अनुसार यदि भूमि पर 31 दिसम्बर 1969 या उससे पहले वार्षिक रजिस्टर में उपकाश्तकार दर्ज है तो वह खातेदार बन जाएगा।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

इसके साथ ही काश्तकारी कानून के प्रभावी होने के दिनांक से पूर्व ही वादीगण के पूर्वज दल्ला का बतौर शिकमी काश्तकार अभिलेख में दर्ज होना तथा उक्त भूमि पर उक्त तिथि को वादीगण के पूर्वज का एकमात्र सेटल्ड पजेशन होना विधि के प्रावधानों के अनुसार तत्समय यानी 15.10.1955 को cultivatory possession में होने से वादीगण के पूर्वज को धारा 14 (1) में यथावर्णित श्रेणी का इंगित करती है। इसका सीधा-सीधा तात्पर्य यह है कि वार्षिक रजिस्टर में वादीगण के पूर्वज दल्ला का सम्वत 2014 यानी सन् 1957 से शिकमी काश्त जैली होने तथा सम्वत 1999 एवं दिनांक 28.01.1946 एवं 29.01.1946 जो प्रदर्श 4, 5 में सम्वत 2002 की रसीदे है से भी यह तय होता है कि वादीगण के पूर्वज द्वारा काश्तकारी कानून के प्रभावी होने के पूर्व से ही लगान अदा किया जा रहा है।

प्रकरण में आरआरटी 2004 (1) मथुरालाल बनाम श्रीमति चन्द्रकंवर निर्णय दिनांक 24.04.2003 में माननीय न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 9, 10, 17 में अभिनिर्धारित किया है कि कोटा परिपत्र खातेदार कृषक की ओर से जैली के कब्जे काश्त को मान्यता देता है एवं खुदकाश्त कृषक या उपकृषक धारा 19(1क क) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार का हकदार है आदि। हमने माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान सहित अवलोकन किया एवं हस्तगत प्रकरण पर चस्पानंगी बावत विचार किया। उक्त प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते हैं। प्रकरण में दिनांक 15.10.1955 को या तदुपरान्त 31.12.1969 से पूर्व वादगत भूमि पर वादीगण के पूर्वज का वार्षिक रजिस्टर में शिकमी काश्त जैली दर्ज होने व भूमि पर कब्जा होने से एवं वादीगण के पूर्वज एवं तदुपरान्त वादीगण द्वारा वादगत भूमि का लगान अदा किए जाने से उक्त तिथि को वादीगण के पूर्वज को ही आसामी की भांति अधिकार प्राप्त हो चुके थे, इस लिहाज से वादीगण को भी धारा 38 के अनुसार स्वतः प्राप्त होते प्रतीत होते हैं। वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम जो दर्ज रिकॉर्ड है वह मात्र दिखावटी है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि, बहस एवं उपर्यूक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी नं0 2 इस</u> तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण द्वारा तनकी नं0 1 में वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि तनकी नं0 1 में अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि वादीगण 15.10.1955 को एवं तदूउपरान्त 31.12.1969 को वादगत भूमि खातेदार आसामी की हैसियत रखते है एवं प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों का नाम जो वादगत भूमि पर दर्ज है वह मात्र दिखावटी है। वादीगण को उक्त भूमि पर अधिकार प्राप्त है एवं वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा के पात्र होने से उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण मदनलाल वगै0 का नाम हटवाकर अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार प्रतीत होते है।

अतः पूर्व विवेचित तनकी एवं इस तनकी की उपर्यूक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण द्वारा तनकी नं0 1 में वर्णित साक्ष्य पेश किए हैं। तनकी नं0 1 के विनिश्च्य के अनुसार वादीगण वादगत भूमि पर खातेदारी हको की घोषणा के हकदार है तथा तनकी नं0 2 के विनिश्च्य के आधार पर वादीगण दूरूस्ती के भी हकदार हैं।

इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि वादीगण को वादगत भूमि पर धारा 14 में यथावर्णित खातेदार अभिधारी की श्रेणी प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण मदनलाल वगै0 का नाम

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी

वादगत भूमि पर दिखावटी है। जैसा कि पूर्व में तय किया जा चुका है कि वादगत भूमि पर पूर्व से एवं वर्तमान समय में वादीगण का निर्बाध cultivatory possession है। ऐसी सुरत में वादीगण 1 खातेदार अभिधारी की भांति प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 188 का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार है।

अतः उपर्यूक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह तनकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 4 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। समूचित एवं पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। लिहाजा दिनांक 23.01.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। 16.06.2022 से लगातार 23.01.2024 तक प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

इसके साथ ही प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श 3 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि वादगत भूमि वाके माल मौजा गोठडाकला खसरा नं0 300 रकबा 2.90 है0 पर मदनलाल प्रभूलाल जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज है खातेदार अभिधारी दर्ज रिकॉर्ड है। भले ही उक्त भूमि पर मदनलाल प्रभूलाल का नाम दर्ज हो किन्तु तनकी नं0 1 से 3 के विवेचन एवं विश्लेषण अनुसार यह तय है कि उक्त भूमि पर उक्त नाम स्वत्व के अभाव में दिखावटी होने से निरस्त योग्य है। उक्त नाम धारी जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज हैं को या तदुपरान्त प्रतिवादीगण भी कोई स्वत्व उक्त भूमि पर प्राप्त करते प्रतीत नहीं होते। इसके साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस यह स्वीकार किया है कि वादगत भूमि पर वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण का वर्तमान में कब्जा नहीं है जवाब के दौरान भी परमिसिव पजेशन इत्यादि के तथ्य अंकित किए है।

वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण की हैसियत खातेदार आसामी की नहीं है एवं साथ ही प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध धारा 188 का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है।

अतः उपर्यूक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 5 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। समूचित एवं पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। लिहाजा दिनांक 23.01.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। 16.06.2022 से लगातार 23.01.2024 तक प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

इस तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं की साथ ही पूर्व तनकी में मदनलाल वगै0 को खातेदारी अभिधारी की हैसियत का नहीं माना गया है एवं इसके साथ ही गुड्डी बाई का नाम किस प्रकार शारदा बाई दर्ज करवाया जावे इस संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं किए हैं।

अतः उपर्यूक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

तनकी नं0 6 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं की। प्रतिवादीकम 3 ता 5 द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर किसी भी प्रकार के कथन प्रस्तुत नहीं किए एवं इसके साथ ही प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा भी ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किए जिनके आधार पर यह राय किया जा सके कि वादगत भूमि में प्रतिवादीकम 3 ता 5 को कोई स्वत्व प्राप्त हो जो तिरोहित होकर प्रतिवादीकम 1 ता 2 को प्रौद्भूत हो जाते हो। मूल रूप से मदनलाल वगै0 या तदुउपरान्त प्रतिवादीगण को ही वादगत भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है, तो प्रतिवादीकम 3 ता 5 को भी कोई स्वत्व प्राप्त होते प्रतीत नहीं होते है। इस कम में स्वत्वाभाव में प्रतिवादीकम 3 ता 5 का कोई स्वत्व प्रतिवादीकम 1 ता 2 को प्राप्त नहीं हो सकता।

अतः साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 7 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं की। अतः तनकी नं0 1 एवं तनकी नं0 6 के विवेचन के आधार पर यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 8 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। जैसा कि तनकी नं0 1 में निर्धारित किया जा चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि को या तदुउपरान्त 31.12.1969 से पूर्व ही वादीगण के पूर्वज वादगत भूमि के खातेदार अभिधारी की हैसियत रखते थे। इस प्रकार उक्त वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण कोई अधिकार नहीं रखते। वादगत भूमि के वास्तविक हकदार वादीगण है। प्रतिवादीगण के संबंध में वादगत भूमि बाबत इस प्रकार संव्यवहार नहीं किया जा सकता कि वो उनकी पैतृक भूमि हो। इस तनकी के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वांछित अनुतोष बाबत तनकी नं0 4 में पूर्व में ही विवेचन किया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पूर्व तनकी में निर्धारण अनुसार यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 9 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। तनकी नं0 1 में वर्णित दस्तावेजात से वादीगण के पूर्वज का शिकमी काश्त जैली होने आदि तथ्य प्रमाणिकरण होने से एवं वर्तमान में भी एकमात्र वादीगण का कब्जा होने आदि के आधार पर पूर्व तनकीयात में वादीगण का स्वत्व नहीं होना तय किया जा चुका है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा जरिए साक्ष्य सहादत यह प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच पैतृक एवं संयुक्त परिवार की आराजी रही हो। अतः साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 10 इस तनकी को सिद्ध करने का भार हालांकि प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 3 के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादगत भूमि के रिकॉर्डेड कृषक हो, परन्तु जैसा कि तनकी नं0 1, 4, 8 के निर्धारण से यह तय है कि वादीगण को वादगत भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। मदनलाल वगै0 का नाम भी दिखावटी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादगत भूमि पर अपना एकमेव कब्जा होना भी प्रमाणित नहीं किया है। इसके विपरीत दौराने बहस प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में वादीगण का परमिसिव

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पजेशन स्वीकार किया है तथा नायब तहसीलदार खातौली के पत्र क्रमांक/भू0अ0/251 दिनांक 06.06.2025 द्वारा भी वर्तमान में वादी का कब्जा होना बताया गया है। वादीगण ही भूमि का लगान एवं वर्तमान में सिंचाई कर इत्यादि जमा कराते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है। जैसा कि तनकी नं0 1 से 9 में विवेचित किया जा चुका है कि प्रतिवादीगण की वादगत भूमि पर हैसियत धारा 5 की उपधारा 43 या धारा 14 में वर्णित श्रेणी की नहीं है। इस आधार पर प्रतिवादीगण वादगत भूमि के संबंध में खातेदार अभिधारी की हैसियत नहीं रखने से एवं कब्जा नहीं रखने से वादीगण के विरूद्ध धारा 188 का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 11 तनकी नं0 1 से 10 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण अस्वीकार योग्य है।

तनकी नं0 1 से 11 के निर्णय के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर यह आदेश दिए जाते है कि वादीगण को आराजी ख0नं0 300 रकबा 2.90 है0, वाके माल मौजा गोठडाकला तह0 पीपल्दा का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर से वर्तमान दर्ज प्रविष्टी जिसमें मदनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण व प्रभुलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण का नाम जमाबंदी में अंकित है को हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण नन्दलाल, फूलचन्द, मुकुट बिहारी, ओमप्रकाश पुत्रान श्री दल्ला को बतौर खातेदार हिस्सा 1/4 प्रत्येक का दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे उक्त भूमि के कब्जे काश्त में वादीगण के विरूद्ध कोई बेजा मदाखलत मजाहमत ना स्वयं करें ना उनके किसी प्रतिनिधि के मार्फत करवाए। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक १५/०६/२०२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Ramniwas

(रामनिवास मेहता आर0ए0एस.0)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
27/2016	23/06/2016	04/06/2025

1. नन्दलाल
2. फूलचन्द
3. मुकुट बिहारी
4. ओमप्रकाश पिसरान श्री दल्ला जातियान ब्राहम्मण निवासीगण गौठडाकला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

वादीगण

वनाम

1. अशोक पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्मण निवासी गौठडाकला हाल निवास ग्राम डूढा वाया गोलाना तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
   मृतक जर्ये कायम मुकाम
   1/1 द्रोपदीबाई बेवा श्री अषोक जाति ब्राहम्मण नि० डूढा वाया गोलाना तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
2. सत्यनारायण पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्मण निवासी डूढा वाया गोलाना तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
3. गीताबाई पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्मण नि० झझनी तह० रावतभाटा जि० चितोडगढ
4. शारदा पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री बाबूलाल जाति ब्राहम्मण नि० डूढा तह० खानपुर जि० झालावाड राज०
5. उमाबाई पुत्री श्री मदनलाल पत्नी शरद कुमार हाल जाति ब्राहम्मण निवासी डूढा तह० खानपुर जि० झालावाड राज०
6. विलोपित।
7. राजस्थान सरकार जर्दे तहसीलदार साहब, पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 19,91,188 आर. टी. एक्ट

निर्णय दिनांक– 04/06/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाह एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेष होकर हुक्म दिया जाता है कि तनकी नं० 1 से 11 के निर्णय के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर यह आदेश दिए जाते है कि वादीगण को आराजी ख०नं० 300 रकबा 2.90 है०, वाके गाल मौजा गोठडाकला तह० पीपल्दा का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर से वर्तमान दर्ज प्रविष्टी जिसमें मदनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण व प्रभुलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण का नाम जमाबंदी में अंकित है को हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण नन्दलाल, फूलचन्द, मुकुट बिहारी, ओमप्रकाश पुत्रान श्री वल्ला को बतौर खातेदार हिस्सा 1/4 प्रत्येक का दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे उक्त भूमि के कब्जे काश्त में वादीगण के विरूद्ध कोई बेजा

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

मदाखलत मजाहमत ना स्वयं करे ना उनके किसी प्रतिनिधि के मार्फत करवाए। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 04/6/2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बावत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा